


आलय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

<p>दिख हुकम</p> <p>1.08.25</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज कश्मीर बनाम श्री वंश मु. सं. 43/2025</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>वकील शार्पिंग डाय दाव में शोपन बाबत दाव विद्वा किये जाने हेतु पेश करने पर पत्रावली आज तसब की गरी शार्पिंग डाय दावत्र विद्वा ऊर सिध गय है इलमिथे शोपन अल्यार्ड निषेदाज को चलाने का क्रेड आधिक्य नही है।</p> <p>अतः शार्पिंग को शोपन अल्यार्ड निषेदाज र्वादिप किये जाता है पत्रावली में दिनांक 08.05.2025 को जारी अंतपीत अल्यार्ड निषेदाज आदेश को निरस्त किये जाता है। पत्रावली फौलत शुमार होकर मूल बाप ललगत रहे।</p> <p>आदेश जुमदय मय  उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)</p>		